

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सह जिला परियोजना अधिकारी (समग्र शिक्षा—माध्यमिक), जिला—गरियाबंद(छ.ग.)

Email ID –rmsa2225@gmail.com

फोन:— 07706-241566

क्र./ ६४ /स.शि.—मा./स्था./स्पेशल एजुकेटर/2023

गरियाबंद, दिनांक २०/०३/२०२३

// स्पेशल एजुकेटर हेतु विज्ञापन //

प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्रमांक/1087/SS/24/14/सेकेण्डरी/2021-22 रायपुर, दिनांक 04.07.2022 के परिपालन में समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा ६वीं से १२वीं) अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड स्तर में ०१-०१ स्पेशल एजुकेटर के पद में एक निश्चित मानदेय पर ०३ माह के लिए अस्थायी रूप से रखा जाना है। आवेदक द्वारा आवेदन किये जाने हेतु विज्ञापन जारी तिथि से आवेदन पत्र दिनांक १०.०५.२३ को समय सायं ५:३० बजे तक जमा की जा सकेगी। भर्ती एवं पात्रता की शर्तें तथा आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं संबंधी विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाइट www.gariaband.gov.in में प्राप्त की जा सकती है।

भर्ती हेतु रिक्त पद का विवरण —

क्र.	पदनाम	प्रतिमाह मानदेय	स्वी. पद	अनुसूचित जनजाति			अनुसूचित जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनारक्षित			योग		
				छ	छ	छ	छ	छ	छ	छ	छ	छ	छ	छ	छ	छ	छ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	स्पेशल एजुकेटर	20000	5	1	1	2	0	0	0	1	0	1	1	1	2	3	2	5

► शैक्षणिक /अन्य अर्हताएँ :—

- स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ २ साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।
- बी.एड. (विशेष शिक्षा)/०२ साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में विशेष शिक्षा से आशय हैं कि—दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, बौद्धिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, सेरेबल पाल्सी, बधिरान्धता में से कम से कम किसी एक विषय में भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बीएड (विशेष शिक्षा) अथवा ०२ साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) होना चाहिए।
- आवेदक का जीवित पंजीयन भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीयन अनिवार्य है।
- छ.ग. के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
- आवेदक की आयु सीमा २१ वर्ष से अधिकतम ३५ वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त शासन के प्रचलित नियमानुसार वर्गवार आयु सीमा में छूट दी जावेगी।

► नियम एवं शर्तें :—

- उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि ०३ माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- अनुबंध के आधार पर अरथाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।




3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
6. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिय जायेगा।
7. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
8. इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानेदय रु. 20,000/- (अक्षरी में— बीस हजार रु. मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
9. अपूर्ण आवेदन/निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा।

➤ आवेदन जमा करने की प्रक्रिया :-

1. भर्ती एवं पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक शैक्षणिक अहताएं योग्य इच्छुक अभ्यर्थी जिला सूचना केन्द्र (एनआईसी) गरियाबंद के वेबसाइट www.gariaband.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन का प्रिंट प्राप्त करें।
2. आवेदन के सभी कॉलम को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भरें।
3. पासपोर्ट साइज की फोटों निर्धारित स्थान पर चम्पा कर स्वप्रमाणित करें।
4. सभी आवश्यक दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता (10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड./डी.एड. विशेष शिक्षा)/अन्य को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।
5. छ.ग. का मूल निवासी होने का प्रमाण—पत्र व जाति प्रमाण—पत्र स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।
6. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (समग्र शिक्षा—माध्यमिक स्तर) जिला—गरियाबंद (छ.ग.) डाक में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
7. आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित का नाम उल्लेख कर 02 लिफाफे में डाक टिकट सहित चिपके हुए स्वयं के पूर्ण पता सहित आवेदन पत्र प्रेषित किया जावें।
8. आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी (समग्र शिक्षा—माध्यमिक), जिला—गरियाबंद (छ.ग.) कक्ष क्रमांक—83, संयुक्त जिला कार्यालय परिसर, जिला—गरियाबंद (छ.ग.), पिन नं. – 493889 के नाम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से विज्ञापन जारी तिथि से निर्धारित अंतिम तिथि 10.04.23 तक समय सायं 5:30 बजे तक कार्यालयीन समयवाधि पर आवेदन पत्र प्रेषित किया जावें। निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

“कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित”



(डी.एस.चौहान)

जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
गरियाबंद(छ.ग.)

पृ.क्र./ ६५ /स.शि.-मा./स्था./स्पेशल एजुकेटर/2023 गरियाबंद, दिनांक २०/०३/२०२३

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर को सादर सूचनार्झ सम्प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षण संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) को सूचनार्थ।
8. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला-गरियाबंद को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
गरियाबंद(छ.ग.)

स्पेशल एजुकेटर हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी
(समग्र शिक्षा-माध्यमिक), जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
कक्ष क्रमांक-83, संयुक्त जिला कार्यालय,
जिला-गरियाबंद (छ.ग.), पिन नं.-493889

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट आकार का
नवीनतम फोटो

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के पिटल में)
—
2. पिता/पति का नाम
—
3. माता का नाम
—
4. लिंग (महिला/पुरुष)
—
5. जन्मतिथि (अंकों में)
(शब्दों में)
—
6. दिनांक 01.01.2022 को आयु
— वर्ष माह दिन
7. जाति
— वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सा.).....
8. रोजगार कार्यालय का जीवित
पंजीयन क्रमांक व दिनांक
—
9. पत्र व्यवहार का पूरा पता
—
10. स्थायी निवास का नाम पूरा
—
11. मोबाइल नम्बर
—

12. शैक्षणिक योग्यता (संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. कार्यानुभव (यदि कोई हो तो उल्लेख करें)

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यावधि	रिमार्क
1	2	3	4	5

14. अन्य योग्यता का विवरण —

15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची —

1. 2.
 3. 4.
 5. 6.

घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिए गये सभी विवरण मेरे जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें दी गई जानकारी असत्य पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान —

दिनांक —

(आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम)

नाम —

पता —

मोबाइल नं.—.....